चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 01.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 01.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में आज दिनाँक 01.12.2024 को मत्थगजेन्द्रनाथ मंदिर में ड्यूटी पर तैनात आरक्षी नन्दलाल, आरक्षी दीपक श्रीवास्तव, आरक्षी चन्द्र भूषण राय द्वारा खोया हुआ एक पर्स मत्थगजेन्द्रनाथ मंदिर में मिला । खोलकर देखा गया तो उसमें 2500/- रूपये व बैंक का पासबुक व अन्य कागजात मिले। बैंक के पासबुक से नाम पता के आधार पर अमवस्या मेला में लगे खोया – पाया केन्द्र के माध्यम से आवाज लगाकर व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अशोक मिश्रा पुत्र शारदा प्रसाद निवासी ग्राम गौरिया थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट बताया। नाम पता तस्दीक होने पर व्यक्ति का खोया हुआ पर्स मय सामान सहित सुपुर्द किया। अपना खोया पर्स पाकर व्यक्ति के चेहरे पर लौटी मुस्कान,चित्रकूट पुलिस का किया धन्यवाद।

(4). आज दिनाँक 01.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, चौकी प्रभारी मण्डी समिति उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह की उपस्थिति में सीतापुर मेला क्षेत्र में अगहन मास अमावस्या मेला के अवसर पर दर्शन करने के लिये आये हुये श्रद्धालुओं को 02 कुटंल लाई का डुढ़ा वितरण किये गये।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों की विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में थाना सरधुवा पुलिस ने ग्राम सुरसेन में हुयी चोरी की घटना का खुलासा कर 02 चोरों को चोरी के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों का विवरणः-

1.मुकेश उर्फ बकोली पुत्र दुखई निवासी ग्राम वैशकाटी थाना करारी जनपद कौशाम्बी

2.सतीश उर्फ बन्टा उर्फ बन्टोली पुत्र रामलोटन उर्फ फटीचर निवासी ग्राम वैशकाटी थाना करारी जनपद कौशाम्बी

बरामदगीः-

1. एक जोड़ी छागल व तीन जोड़ी पायल सफेद धातु (पहली पन्नी में)
2. एक जोड़ी पायल,दो जोड़ी बिछिया (दूसरी पन्नी में)
3. गाय एक बासुरी सफेद धातु,तीन सफेद धातु के सिक्के 12 बिछिया सफेद धातु (तीसरी पन्नी में)

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 126/24 धारा 331(4),305(ए),317(2) बीएनएस थाना सरधुवा

2.मु0अ0सं0 205/24 धारा 457/380/411/413/414 भादवि0 थाना कोत0 कर्वी

3.मु0अ0सं0 133/24 धारा 331(4),305,317(2)(4)(5) बीएनएस थाना

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 05.08.2024 को वादी श्री मो0 शरीफ पुत्र मो0 स्लाम निवासी सुरसेन थाना सरधुवा द्वारा थाना सरधुवा में सूचना दी की अज्ञात चोरों ने उनके घर में सेंध लगाकर लोहे की आलमारी में रखे जेवर चोरी कर लेना । इस सूचना पर थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 126/2024 धारा 331(4),305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना के अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक सरधुवा को निर्देशित किया गया। प्रभारी निरीक्षक सरधुवा द्वारा चोरी के सफल अनावरण हेतु उ0नि0 श्री मुन्नीलाल तथा उनकी टीम को लगाया गया। उ0नि0 व उनकी टीम द्वारा आज दिनाँक 30.11.2024 को समय 23.05 बजे मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1.मुकेश

उर्फ बकोली पुत्र दुखई निवासी ग्राम वैशकाटी थाना करारी जनपद 2.सतीश उर्फ बन्टा उर्फ बन्टोली पुत्र रामलोटन उर्फ फटीचर निवासी ग्राम वैशकाटी थाना करारी जनपद कौशाम्बी को पैश्वनी नदी के पुल पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से गहनता से पूछंताछ की गयी तो बताए कि पूर्व में थाना सरधुवा के ग्राम सुरसेन में, थाना रैपुरा के ग्राम करौदीकला में एवं चौकी सीतापुर के ग्राम रानीपुरभट्ट में चोरी किये थे। चोरी के माल के बारे में पूंछा गया तो बताये कि चोरी के माल को एक जगह जमीन के नीचे खोदकर दबा दिया है। बताये हुए स्थान पर मौके पर जाकर खोदा गया तो एक पीला झोला दिखाई दिया । जिसमें तीन अलग अलग पन्नी में सफेद धातु के जेवरात मिले । चोरी के माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1.उ0नि0 श्री मुन्नीलाल थाना सरधुवा

2.मुख्य आरक्षी बृजेन्द्र कुमार

3.आरक्षी शक्ति सिंह

4.आरक्षी चालक राहुल पुरी

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कर्वी ने 02 वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री किशन कुमार थाना कोत0 कर्वी मय हमराह आरक्षी संजीव सोनी द्वारा मु0नं0 6601/2013 धारा 4/21 खनिज अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त जब्बर सिंह पुत्र नत्थू प्रसाद निवासी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(ii). उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य चौकी सीतापुर मय हमराह आरक्षी नागेश कुमार व आरक्षी अमर सिंह द्वारा मु0नं0 25/2023 मु0अ0स0 59/2020 धारा 138(1) विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त राजू यादव पुत्र शिवमोहन यादव निवासी रत्नावली मार्ग चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 रामकृत यादव व उनके हमराही आरक्षी प्रवीण पाण्डेय द्वारा अभियुक्त 1.मधु त्रिपाठी पुत्र परमेश्वर त्रिपाठी 2. विनय दिवाकर पुत्र मुन्नीलाल निवासी ग्राम गुरौली थाना कौशाम्बी जिला कौशाम्बी को 02 प्लास्टिक की पिपिया में 09-09 लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मऊ में 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्यामप्रताप पटेल के मार्गदर्शन में रैपुरा पुलिस टीम ने दुष्कर्म के वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि 01.11.2024 को एक ग्राम निवासिनी वादिया द्वारा थाना रैपुरा पर सूचना दी कि शाम को खेतों की तरफ शौच क्रिया को गयी थी जैसे ही प्रार्थिया स्कूल के पीछे पहाड़ के पास गयी थी तभी पहले से मौजूद अभियुक्त 1.फूलचन्द्र पुत्र चुनवाद 2. मनीष पुत्र रामसवारे द्वारा मेरे साथ दुष्कर्म किया गया। इस सम्बन्ध में थाना रैपुरा में

मु0अ0सं0 184/2024 धारा 74 बीएनएस बनाम 1.फूलचन्द्र पुत्र चुनबाद 2. मनीष पुत्र रामसवारे पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना बयान साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 74 बीएनएस का लोप करते हुए धारा 70(1) की बढोतरी की गयी। पूर्व में अभियुक्त मनीष पुत्र रामसवारे को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनाँक 01.12.2024 को उ0नि0 रविकान्त राय एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त फूलचन्द्र पुत्र चुनवाद को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम-
1.उ0नि0 रविकान्त राय थाना रैपुरा
2.आरक्षी शिवलाल

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राजेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस एवं जनपदीय नागरिक पुलिस द्वारा यातायात माह नवम्बर-2024 में आम जन मानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ 506 दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठाकर यात्रा करने,5016 वाहनों पर बिना हेलमेट, 46 वाहनों का यात्रा के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर,480 चार पहिया वाहनों मे सीट बेल्ट नहीं लगाए जाने पर,198 वाहनों का नाबालिक/अवयस्क द्वारा बिना लाइसेंस चलाने पर,127 वाहनों का बिना पंजीकरण होने पर,403 वाहनों का दोषपूर्ण नंबर प्लेट होने पर,505 वाहनों का बिना परमिट,बीमा पर,12 वाहनों का ओवर स्पीड में,35 वाहनों का गलत दिशा में वाहन चलाने पर,81 वाहनों का ड्रंकन ड्राइव में एवं 66 वाहनों का क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों पर एम0वी0 एक्ट की धाराओं कुल 7757 वाहनों से 1,59,88,800/- रूपये शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी,45 वाहन सीज किए,07 वाहन चालकों के लाइसेंस जब्त किए तथा प्रत्येक दशा मे यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे जनपद मे होने वाली सड़क दुर्घटन विगत वर्ष यातायात माह नवंबर में की गई प्रवर्तन कार्यवाही में 5030 वाहनों से अधिरोपित जुर्माना 84,06,900 एवं जब्त किए गए 25 वाहन सीज के सापेक्ष यातायात माह नवंबर 2024 में किए गए कुल चालान 7,757 एवं अधिरोपित जुर्माना 1,59,88,800 रुपए तथा 45 वाहन सीज करते हुए एवं 07 वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु जब्त किए गए।